



क्रमांक 663 / बै.प्र./एपीडीएमबी / 2023

बिलासपुर, दिनांक : 17-07-2023


### कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 62/विकास/2021 बिलासपुर दिनांक 22.09.2021 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 48(2) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

- 48(2)(9) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ से एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी**
  - डॉ० आर.के.शर्मा, परीक्षा नियंत्रक  
के स्थान पर  
प्रो० रत्नेश सिंह, आचार्य, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रशासन
- 48(2)(10) विद्यापरिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट छह शिक्षक, जिसमें प्रत्येक स्तर से कम से कम एक शिक्षक हों**
  - डॉ० अनुराग चौहान, सह-आचार्य, अंग्रेजी विभाग  
के स्थान पर  
डॉ० राघवेंद्र सिंह ठाकुर, सह-आचार्य, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद अथवा अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के कार्यकाल जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 664 / बै.प्र./एपीडीएमबी / 2023

बिलासपुर, दिनांक : 17-07-2023

प्रतिलिपि :-

- कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)